

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
जी 3/अम्बेडकर भवन, राजमहल रेजीडेन्सी क्षेत्र, जयपुर
कमाक-एफ 7 (2) (70)/रा.छा./सान्या.अवि./20-21 / 7328

जयपुर दिनांक 01/07/2021

अम्बेडकर डीबीटी वाउचर योजना के संचालन की प्रक्रिया

माननीय मुख्यमंत्री महोदय के बजट भाषण 2021-22 के बिन्दु संख्या 108 में की गई बजट घोषणा के अनुसरण में विभाग द्वारा SC, ST, OBC, MBC, EWS वर्गों के कॉलेज छात्रों के लिए आवासीय सुविधा हेतु अम्बेडकर डीबीटी वाउचर योजना के तहत पांच हजार छात्र लाभान्वित किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2021-22 में योजना के संचालन की प्रक्रिया निम्नानुसार है:-

1. योजना का लाभ:- योजनान्तर्गत SC, ST, OBC, MBC, EWS के छात्र जो राजकीय महाविद्यालय की स्नातक अथवा स्नातकोत्तर कक्षाओं में नियमित रूप से अध्ययनरत छात्रों को देय होगा।
2. श्रेणीवार छात्रों का विभाजन:- योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति के 1500, अनुसूचित जनजाति के 1500, अन्य पिछड़ा वर्ग के 750, अति पिछड़ा वर्ग के 750, आर्थिक पिछड़ा वर्ग के 500 विद्यार्थियों को लाभ दिया जावेगा।
3. पात्रता/शर्त:-
 - अभ्यर्थी राजस्थान का मूल निवासी हो।
 - अभ्यर्थी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का सदस्य हो।
 - अभ्यर्थी के माता-पिता, अभिभावक की वार्षिक आय (अभ्यर्थी की आय को सम्मिलित करते हुए यदि हो तो) SC, ST, MBC के छात्र की वार्षिक आय 2.50 लाख रु., OBC के लिए 1.50 लाख रु. व EWS के लिए 1.00 लाख रु. से अधिक नहीं हो।
 - जिला स्तर पर स्थित राजकीय महाविद्यालय में शैक्षणिक पाठ्यक्रम (एकेडमिक कोर्स) में अध्ययनरत हो।
 - अभ्यर्थी जिस जिले के राजकीय महाविद्यालय में अध्ययनरत है उस नगर निगम/ नगर परिषद/ नगर पालिका का निवासी न हो।
 - योजना के तहत विद्यार्थी जिनके माता-पिता/अभिभावक - के पास स्वयं का मकान उस शहर या स्थान पर होने पर जहां वह अध्ययनरत है, वह योजना के तहत लाभ प्राप्त करने हेतु पात्र नहीं होगा।
 - छात्र को योजना का लाभ अधिकतम पाँच वर्षों के लिए देय होगा।
 - जो छात्र सरकार द्वारा संचालित छात्रावास में निवासरत रहकर अध्ययन कर रहे हैं, उन्हें उक्त योजना का लाभ देय नहीं होगा।

22

4. अभ्यर्थी के द्वारा की जाने वाली प्रक्रिया:-

- विभाग द्वारा विज्ञप्ति जारी किये जाने पर इच्छुक अभ्यर्थी द्वारा ई-मित्र/ एस. एस.ओ. आई.डी. के माध्यम से उक्त पोर्टल पर जनाधार कार्ड के माध्यम से आवेदन किया जावेगा।

5. अभ्यर्थी द्वारा अपलोड किये जाने वाले दस्तावेज:-

- सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण-पत्र।
- सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण-पत्र।
- स्व-घोषित आय प्रमाण-पत्र की प्रति।
- अभ्यर्थी के जनाधार कार्ड, आधार कार्ड की प्रति।
- अभ्यर्थी को अपने स्वयं के बैंक का नाम, खाता संख्या, बैंक आईएफएससी कोड, ब्रांच का नाम ऑन लाईन आवेदन पत्र में करना होगा।
- जिला स्थित राजकीय महाविद्यालय में नियमित अध्ययनरत होने का प्रमाण-पत्र।
- स्व-प्रमाणित किराये के मकान का प्रमाण-पत्र/ किराये के रसीद की प्रति।
- गत वर्ष उत्तीर्ण कक्षा की अंकतालिका की प्रति।

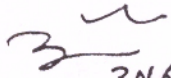
6. योजना का आवेदन पत्र प्राप्त करने का कार्यालय:- विद्यार्थी वर्तमान में जिस राजकीय महाविद्यालय में अध्ययनरत है, उस महाविद्यालय के द्वारा ऑनलाईन प्राप्त आवेदन पत्रों की गहन जांच कर आवेदन पत्र उपयुक्त पाये जाने पर अनुशंसा के साथ स्वीकृतकर्ता अधिकारी (विभागीय जिलाधिकारी) को भिजवाया जावेगा। स्वीकृतकर्ता अधिकारियों द्वारा शिक्षण संस्थाओं से प्राप्त परिपूर्ण आवेदन पत्रों की ऑनलाईन स्वीकृति कर निर्धारित राशि का भुगतान विद्यार्थी के खाते में डीबीटी की जावेगी।

7. स्वीकृतकर्ता अधिकारी:- योजनान्वित लाभान्वित किये जाने हेतु जिलेवार व वर्गवार लक्ष्यों के अनुरूप स्वीकृति संबंधित उप निदेशक/ सहायक निदेशक (जिलाधिकारी) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा जारी की जावेगी।

8. देय राशि:- अभ्यर्थी को शैक्षणिक सत्र में 2000 रुपये प्रतिमाह अधिकतम 10 माह के लिए देय होगी।

9. भुगतान प्रक्रिया:- अभ्यर्थी को मासिक/ प्रतिमाह भुगतान किया जायेगा।

10. प्रक्रिया का विनिर्णय:- इस प्रक्रिया की व्याख्या आयुक्त/निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा की जावेगी, वही अन्तिम एवं बाध्यकारी मानी जावेगी। किसी भी विवाद में संबंधित विभाग क आयुक्त/निदेशक का निर्णय अन्तिम होगा।

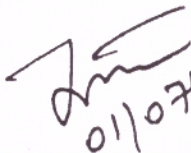

30/6/2021
(ओ.पी. बुनकर)

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

कमांक-एफ 7 (2)(70)/रा.छा/सान्या.अवि./2020-21/7329-7413 जयपुर दिनांक 01/07/2021

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. उप सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान जयपुर।
4. प्रमुख शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रिय विकास विभाग, राजस्थान उदयपुर।
5. निजी सचिव, शासन सचिव महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. आयुक्त, जनजाति क्षेत्रिय विकास विभाग, राजस्थान उदयपुर।
7. आयुक्त, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान जयपुर।
8. महालेखाकार, राजस्थान जयपुर।
9. शासन उप सचिव, वित्त (व्यय-2) विभाग, राजस्थान जयपुर।
10. जिला कलक्टर.....।
11. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद.....।
12. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
13. संयुक्त निदेशक (आई.टी.), मुख्यावास को भेजकर लेख है कि उक्त योजना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करवाये जाने के सम्बन्ध में सम्बंधित को निर्देशित करावें।
14. निजी सचिव, अतिरिक्त निदेशक (सतर्कता एवं प्रशासन)/वित्तीय सलाहकार/अतिरिक्त निदेशक (छात्रवृत्ति एवं छात्रावास)/सहायक निदेशक (प्रचार-प्रसार) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
15. उप निदेशक/सहायक निदेशक, सान्याअवि समस्त।
16. सहायक निदेशक (छात्रावास) मुख्यावास।
17. आदेश पत्रावली।


01/07/2021
(अनुपम कायल)

अतिरिक्त निदेशक (छात्रवृत्ति एवं छात्रावास)